

दिनांक.....

दस्तावेज क्रमांक	पंजीयन दिनांक	बंधक कर्ता	बंधक ग्रहीता	बंधक राशि रूपये	बंधक दिनांक	बंधक समाप्ति दिनांक	बंधक की अवधि वर्ष	कब्जा : भूमिस्वामी /बंधक ग्रहीता	बंधक का प्रकार
									साधारण बंधक/ उपभोग बंधक/ अन्य-----

3. राजस्व अभिलेख की जांच

वर्तमान खसरा एवं अधिकार अभिलेख (B-1) का अवलोकन करने पर खसरा नं.-----
रकबा-----भूमि श्री-----के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज पाई गई। उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेख न पूर्व से किसी अन्य बंधक, भार, कुर्की, न्यायालयीन स्थगन अथवा अन्य विल्लंगम दर्ज होने का उल्लेख है/नहीं है।

4. धारा 165 के संबंध में जांच

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के प्रावधानों के अनुसार बंधक की वैधानिक स्थिति का परीक्षण किया गया।
भूमिस्वामी के नाम कुल कृषि भूमि-----हेक्टे0 है, जिसमें :-

कुल कृषि भूमि हेक्टे0	सिंचित भूमि हेक्टे0	असिंचित भूमि हेक्टे0	बंधक की जाने वाली भूमि हेक्टे0	बंधक के पश्चात भूमिस्वामी के पास भारमुक्त भूमि हेक्टे0

(टीप : धारा 165(2)(क) के अनुसार बंधक तभी वैध हो सकता है जब भूमिस्वामी के पास कम से कम 2.00 हेक्टे0 सिंचित अथवा 4.00 हेक्टे0 असिंचित भूमि भारमुक्त बची रहे।)

अतः धारा 165(2)(क) में निर्धारित भूमि संबंधी शर्त पूर्ण होती है/पूर्ण नहीं होती है। -----

5. पक्षकारों के कथन

बंधककर्ता श्री-----ने अपने कथन में बताया कि उक्त भूमि उन्होंने दिनांक-----
को ₹-----में श्री-----के पक्ष में बंधक की है। बंधकग्रहीता बंधक भूमि की उपज का विक्रय हेतु पंजीयन कोई भी सेवा सहकारी समिति में करा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बंधकग्रहीता श्री-----ने अपने कथन में बताया कि उक्त भूमि बंधककर्ता से बंधक कर उन्हें उक्त भूमि का कब्जा दिनांक-----को प्राप्त हुआ/कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। बंधक भूमि की उपज का विक्रय हेतु पंजीयन कोई भी सेवा सहकारी समिति में करा सकता है। दोनों पक्षों के कथन संलग्न हैं।

6. बंधक अवधि की जांच

पंजीकृत बंधक विलेख में बंधक की अवधि-----वर्ष अंकित है। उक्त बंधक उपभोग बंधक है, तो धारा 165(2)(ख) के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम अवधि का परीक्षण किया गया। बंधक अवधि-----वर्ष होने से यह अवधि छह वर्ष की सीमा के भीतर/छह वर्ष से अधिक पाई गई। ---

(टीप : धारा 165(2)(ख) के अनुसार उपभोग बंधक की अवधि 6 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती, 6 वर्ष से अधिक अवधि का बंधक वैध नहीं है और अवधि समाप्त होने पर बिना भुगतान के बंधक मोचित तथा कब्जा भूमिस्वामी को वापस किया जाना चाहिए।)

7. मौके पर कब्जे की स्थिति

दिनांक-----को मौके पर जाकर जांच की गई। मौके पर खसरा नं.-----
रकबा-----भूमि पर वर्तमान में श्री-----का कब्जा पाया गया।
भूमि पर वर्तमान में-----फसल बोई गई है/भूमि पर-----उपयोग पाया गया।
मौके की स्थिति के संबंध में पंचनामा तैयार किया गया है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

8. निष्कर्ष

उपरोक्त राजस्व अभिलेखों, पंजीकृत/ अपंजीकृत-----बंधक विलेख, मौके की जांच एवं पक्षकारों के कथनों के आधार पर पाया गया कि श्री/श्रीमती-----भूमिस्वामी के नाम खसरा नं.-----
रकबा-----भूमि दर्ज है।
उक्त भूमि को श्री/श्रीमती-----के पक्ष में दिनांक-----को ₹-----में-----वर्ष की अवधि के लिए बंधक किया गया है। बंधक के पश्चात भूमिस्वामी के पास-----हेक्टे0 सिंचित/-----हेक्टे0 असिंचित भूमि भारमुक्त शेष रहती है। बंधक अवधि-----वर्ष है तथा बंधक का स्वरूप-----है।
उपलब्ध अभिलेख एवं मौके की जांच के आधार पर उक्त बंधक मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के प्रावधानों के अनुरूप पाई गई है/नहीं पाई गई है।-----! बंधक भूमि की उपज का विक्रय पंजीयन हेतु सत्यापन उचित है/ नहीं है। ----- अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय हेतु प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।
संलग्न दस्तावेज:- वर्तमान खसरा, खतौनी, नक्शा, बंधक विलेख, पक्षकारों के कथन, मौके का पंचनामा।

हस्ताक्षर :
पटवारी हल्का नं. _____